

प्रेस नोट

दिनांक 17.10.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा फर्जी ट्रेजरी चालान बनाने वाले गिरोह का सदस्य शैलेन्द्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद चालान फार्म कोषागार बरामद

आज दिनांक 17.10.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस टीम को मुखबीर की सूचना मिली कि फर्जी ट्रेजरी चालान बनाने वाले गिरोह का सदस्य शैलेन्द्र प्रताप सिंह जो वैष्णो सर्विस स्टेशन पेट्रोल पम्प अलईपुरा में काम करता है, इस समय वैष्णो सर्विस स्टेशन पेट्रोल पम्प के थोड़ा आगे खड़ा है और फर्जी चालान लेकर किसी व्यक्ति के आने का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अलईपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित वैष्णो सर्विस स्टेशन पेट्रोल पम्प के पास से शैलेन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 03 अदद चालान फार्म कोषागार प्रपत्र -209(1) बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ – पूछताछ के क्रम में अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि मैं पिस्टल फायरिंग का खिलाड़ी हूँ और 05 बार यूपी चैम्पियन भी रहा हूँ। मैं राइफल क्लब में फायरिंग इन्सट्रक्टर हूँ। लगभग एक वर्ष पूर्व रायफल क्लब में ही कचहरी के वकील सरोज विश्वकर्मा व रामबचन चौहान जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं और SBI में गार्ड की ड्यूटी करते हैं, से मेरी मुलाकात हुई थी। सरोज विश्वकर्मा पूर्व में असलहा बाबू के साथ काम करते थे और लोगों से शस्त्र नवीनीकरण के लिए चालानी रिपोर्ट लेकर ट्रेजरी में पैसा जमा करने के लिए मुझे देते थे। मैं बैंक में रामबचन चौहान उपरोक्त को उक्त चालानी देता था, जो चालानी पर बैंक की मोहर लगाकर मुझे दे देते थे और मैं उसपर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वकील सरोज विश्वकर्मा को दे देता था और ट्रेजरी में पैसा जमा नहीं करता था। जो पैसा मिलता था उसे हम तीनों आपस में बांट लेते थे। ऐसा हम लोग लगभग एक वर्ष से कर रहे हैं। हम लोग अन्य कार्यों में भी अधिकांशतः फर्जी ट्रेजरी चालान ही लगाते थे क्योंकि इस पर लोग जल्दी ध्यान नहीं देते हैं।

गिरफ्तार व्यक्ति का*नाम व पता- *

- 1- शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र मधु सुदन प्रताप सिंह निवासी S 15/17 A घौसाबाद थाना कैण्ट जनपद वाराणसी ।

***वांछित अभियुक्तगण- ***

1. सरोज विश्वकर्मा वकील कचहरी जनपद वाराणसी ।
2. राम बचन चौहान गार्ड एसबीआई मुख्य शाखा कचहरी जनपद वाराणसी ।

***आपराधिक इतिहास*-**

मु191 0सं0अ0/419 धारा 2020/420/467/468/470/ भादवि थाना जैतपुरा 471वाराणसी ।

***गिरफ्तारी का स्थान व समय-** वैष्णों सर्विस स्टेशन पेट्रोलपम्प के पास चौकाघाट , समय 08. 10

***बजे ।**

***बरामदगी का विवरण *-**

अभियुक्त के कब्जे से - अदद चालान फार्म कोषागार प्रपत्र 03209)1(बरामद हुआ
जिनका विवरण इस प्रकार है -

- 1- कन्हैया त्रिपाठी पुत्र स्व0नरोत्तम त्रिपाठी नि 0 D 5/त्रिपुरा भैरवी थाना दशाश्वमेध जनपद 30 3549 0सं0वाराणसी ल/दशाश्वमेध चालान राशि -5000चालान सं -/ Jजिस पर भारतीय स्टेट 002569 बैंक वाराणसी मुख्य शाखा की दिनांक13 .10.क 2020ी मोहर लगी है।
- 2- राजकुमार कपूर पुत्र माधोचन्द्र कपूर नि0 D 2/ 0सं0मरिघाट थाना दशाश्वमेध वाराणसी ल 5 3548/दशाश्वमेध चालान राशि 0चालान सं 0रु 500 J जिस पर भारतीय स्टेट बैंक वाराणसी 002572 की मुख्य शाखा की दिनांक13. 10क 2020.ी मोहर लगी है।
- 3- सन्तोष कुमार पाठक पुत्र स्व0कृष्णा प्रसाद पाठक नि 0 D 47/रामापुरा थान 198ा लक्सा वाराणसी पिस्टल सं0 R.P. 176122/.0रु चालान सं2500 बोर चालान की राशि 32 J 002594 भारतीय स्टेट बैंक वाराणसी की मुख्य शाखा की दिनांक13. 10क 2020.ी मोहर लगी है।

***गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण *-**

- उ0नि0 दयाशंकर यादव, उ0नि0 मो0 अकरम, का0 सुनील कुमार यादव व का0 पप्पू कुमार थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल



प्रेस नोट

*कई सौ करोड़ रुपये की ठगी में थाना कैण्ट में पंजीकृत अभियोगों में वांछित 32
शाईन सिटी कम्पनी का निदेशक अमिताभ श्रीवास्तव थाना कैण्ट पुलिस द्वारा नई
*दिल्ली से गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के निर्देशन में शाईन सिटी कम्पनी के नाम पर प्लाट व कई अन्य योजनाओं में निवेश का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाली कम्पनी के विरुद्ध चलाये जा रहे एक विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 16.10. को थाना कैण्ट पुलिस 2020 द्वारा शाईन सिटी कम्पनी के निदेशक अमिताभ कुमार श्रीवास्तव पुत्र सच्चिदानन्द नि डी 0 57/ वर्ष 49 सी जिला कम्पलैक्स थाना लक्सा जनपद वाराणसी उम्र करीब 0फ्लैट नं 37को महिपालपुर गली नं होटल गुडलक के पास थाना बसन्तकुंज नार्थ नई दिल्ली 4 0से समय करीब 19.बजे 35 गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

-विवरण पूछताछ

अभियुक्त अमिताभ श्रीवास्तव से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि मैं शाईन सिटी वाराणसी में निदेशक के पद पर नियुक्त था तथा कम्पनी में राशिद नसीम मुख्य प्रबन्ध निदेशक)CMD) व आसिफ नसीम प्रबन्ध निदेशक)MD) पद पर थे। इसके अतिरिक्त कम्पनी में कई प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट व एजेन्ट भी थे। हम लोगों द्वारा मिलकर लोगों से प्लाट व कई योजनाओं में निवेश का झांसा देकर कम्पनी के नाम पर कई करोड़ रुपये की ठगीगबन किय/ा गया है। हम लोगों के विरुद्ध वाराणसी, लखनऊ, मिर्जापुर व अन्य जनपदों में सौ से अधिक अभियोग दर्ज हो चुके हैं। कम्पनी का सीएमडी राशिद नसीम दुबई भाग गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अमिताभ कुमार श्रीवास्तव पुत्र सच्चिदानन्द नि0 डी 57/37 फ्लैट नं0 सी जिला कम्पलैक्स थाना लक्सा जनपद वाराणसी उम्र करीब 49 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1476/2019 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी

2. मु0अ0सं0 1518/2019 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
3. मु0अ0सं0 1545/2019 धारा 419/420/467/468/406/323/504/506 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
4. मु0अ0सं0 1554/2019 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
5. मु0अ0सं0 1363/2019 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
6. मु0अ0सं0 1434/2019 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
7. मु0अ0सं0 1493/2019 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
8. मु0अ0सं0 1516/2019 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
9. मु0अ0सं0 1404/2019 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
10. मु0अ0सं0 1483/2019 धारा 406/420/409/120बी भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
11. मु0अ0सं0 0166/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
12. मु0अ0सं0 0139/2020 धारा 420/467/468/427/504/506 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
13. मु0अ0सं0 0165/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
14. मु0अ0सं0 0199/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
15. मु0अ0सं0 0176/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
16. मु0अ0सं0 0175/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
17. मु0अ0सं0 0226/2020 धारा 406/420/409/120बी भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
18. मु0अ0सं0 0264/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
19. मु0अ0सं0 0265/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
20. मु0अ0सं0 0302/2020 धारा 406/420/506 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
21. मु0अ0सं0 0490/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
22. मु0अ0सं0 0517/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
23. मु0अ0सं0 0530/2020 धारा 406/420/504/506/409/120बी भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
24. मु0अ0सं0 0549/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
25. मु0अ0सं0 0557/2020 धारा 406/420/409/120बी भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
26. मु0अ0सं0 0564/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
27. मु0अ0सं0 0584/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
28. मु0अ0सं0 0620/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
29. मु0अ0सं0 0644/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
30. मु0अ0सं0 0693/2020 धारा 406/420 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
31. मु0अ0सं0 0745/2020 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी

32. मु0अ0सं0 420/2020 धारा 420/406/409/120बी भादवि थाना कैंट जनपद वाराणसी

नोट:इ -सके अतिरिक्त अन्य जनपदों में शार्डिन सिटी कम्पनी के विरूद्ध मुकदमें पंजीकृत है जिसके सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों से अन्य मुकदमों की जानकारी की जा रही है।

-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 तरुण कश्यप चौकी प्रभारी कचहरी सुरक्षा, उ0नि0 अशोक कुमार चौकी प्रभारी नदेसर, का0 रामानन्द यादव क्राइम टीम थाना कैण्ट वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बड़ागाँव के कुशल निर्देशन में दिनांक 17.10.को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान 2020 मुखबिर की सूचना परमु465 0सं0अ0//406 धारा 2020411/427 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मुरली मनोहर तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी निवासी बांका पोस्ट बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र वर्ष को समय 28करीब 03. बजे 25हरहुआ तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर ग्राम डाढी थाना घोसी जनपद मऊ से दिव्य (डिब्बा) टीन 1360Refind Soyabeen Oil बरामद हुआ। बरामद माल की कीमत लगभग 20,00,000/-रु 0(बीस लाख रुपयेहै। (उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मुरली मनोहर तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी निवासी बांका पोस्ट बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 28 वर्ष ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 30नि0 अनिल कुमार, 30नि0 इन्द्रजीत कुमार गौड़, का0 सौरभ कुमार निगम व का0 प्रवीण कुमार थाना बड़ागाँव वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 17.10.को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर 2020 की सूचना परमु 0सं0अ00459/2020 धारा 147/323/504/506/452 /354)क)(1) भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र रामलाल यादव निवासी उज्जैनियापुर खरावन थाना बड़ागाँव वाराणसी उम्र वर्ष 28को साधोगंज बाजार से समय करीब 14.बजे 10 गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- बृजेश यादव पुत्र रामलाल यादव निवासी उज्जैनियापुर खरावन थाना बड़ागाँव वाराणसी उम्र 28 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अनिल कुमार, का0 हेरराम यादव व का0 कृष्णा यादव थाना बड़ागाँव वाराणसी ।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 16.10.को थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर 2020 की सूचना पर मु 0सं0अ0498/2020 धारा 341/326/307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त धन्नी यादव पुत्र स्व0 सुभाष यादव निवासी ग्राम छितौना थाना चौबेपुर वाराणसी को अम्बा मोड़ जाल्हूपुर से समय करीब 15.40 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- धन्नी यादव पुत्र स्व0 सुभाष यादव निवासी ग्राम छितौना थाना चौबेपुर वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 कुँवर अंशुमान सिंह, उ0नि0 कृष्ण मोहन पासवान, हे0का0 सत्यप्रकाश सिंह व का0 योगेन्द्र यादव थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 17.10. को थाना 2020रामनगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान/मुखबिर की सूचना पर भीटी के पास एक अदद पिकअप वाहन संख्या UP 65JT 5313 को रोका गया। गाड़ी रूकते ही चालक के साथ बैठा एक व्यक्ति कूदकर भाग गया तथा चालक को मौके से पकड़ लिया गया। उक्त पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 14 राशि पड़वा बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर बताया कि उसका नाम मुसई पुत्र हमीद निवासी पथरौला थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर उम्र वर्ष 20 है। फरार व्यक्ति के बारे में पूछने पर उसका नाम निजामुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन निवासी मैसौना मझगई थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली है जो कि वाहन स्वामी है। पूछताछ करने पर बताया कि इस पिकअप में पड़वा लादे गये हैं जिन्हें हम वध हेतु वाराणसी ले जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा मु 0सं0अ0 0172/ पंजीकृत 0पशु क्रूरता निवारण अधि 11 भादवि व 279 धारा 2020कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मुसई पुत्र हमीद निवासी पथरौला थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर उम्र 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 14 राशि पड़वा व एक अदद पिकअप वाहन संख्या UP 65 JT 5313

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 विनोद कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी भीटी, उ0नि0 टुन्नू सिंह, का0 रंजीत कुमार, का0 सुधीर कुमार व का0 धर्मवीर भारती थाना रामनगर, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 17.10. को 2020थाना फूलपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर) व्यक्तियों 021 (सुनील कुमार पटेल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पटेल निवासी ग्राम कविरामपुर थाना बडागाँव जनपद वाराणसी व (2) अरुण कुमार चौरसिया पुत्र स्व 0 चमनलाल चौरसिया निवासी ग्राम मंगारी थाना फूलपुर वाराणसीको गंगापुर डीहबाबा के मन्दिर के पास से समय करीब 06. बजे 45 गिरफ्तार किया गया। सुनील कुमार पटेल के कब्जे से कुल ग्राम व 70अरुण कुमार चौरसिया के कब्जे से कुल ग्राम अल्प्राजोलाम नशीला 80 पदार्थ बरामद हुआ।उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा मु 0सं0अ0 0407/8 धारा 2020/0408 0सं0अ0एनडीपीएस एक्ट व मु 22/8 धारा 2020/ 22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाह ी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सुनील कुमार पटेल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पटेल निवासी ग्राम कविराम पुर थाना बडागाँव जनपद वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष
2. अरुण कुमार चौरसिया पुत्र स्व0 चमनलाल चौरसिया निवासी ग्राम मंगारी थाना फूलपुर वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- सुनील कुमार पटेल के कब्जे से कुल 70 ग्राम व अरुण कुमार चौरसिया के कब्जे से कुल 80 ग्राम अल्प्राजोलाम नशीला पदार्थ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 हरिकेश सिंह, उ0नि0 विवेक सिंह, हे0का0 आनन्द सिंह, का0 राकेश कुमार सिंह, का0 गौतम कुमार, का0 रामरूप व का0 राजू सोनकर थाना फूलपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 17.10. को 2020थाना फूलपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु417 0सं0अ0/ धारा 2019 147/148/149/336/352//353332/323/504/506/427/325 भादवि2 ,/सार्वजनिक 3 सम्पत्तिक्षति निवारण अधिनियम व सीएलए एक्ट 7से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम गड़खड़ा थाना फूलपुर वाराणसी उम्र वर्ष 26व एक अभियुक्ता को अघोड़ी बाबा कुटिया के पास से समय करीब 10. बजे 30गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रदीप पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम गड़खड़ा थाना फूलपुर वाराणसी उम्र 26 वर्ष
2. एक अभियुक्ता

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 संजीत बहादुर सिंह, उ0नि0 श्यामधर विन्द, का0 राजेश कुमार पासवान, का0 विशाल कुमार व म0का0 रेनू दूबे थाना फूलपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 17-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल45 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *40 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1812 वाहनों का चालान, 18 वाहनों को सीज तथा 294 वाहनों से रु0-2,79,300/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 17-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1574 व्यक्तियों से रु0-59,600/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।